The 5th September, 1975

No. 10081-4Lab-75/27307.—In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad in respect of the dispute between the workmen and the Management of M/s Sita Ram Engineering Corporation, Railway Crossing, Old Faridabad.

BEFORE SHRI MOHAN LAL JAIN, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, HARYANA, FARIDABAD

Reference No. 104 of 1974

between

SHRI G.P. DAYAL, WORKMAN AND THE MANAGEMENT OF M/S SITA RAM ENGINEERING CORPORATION, RAILWAY CROSSING , OLD FARIDABAD

AWARD

By order No. ID/FD/930-A-74/30296, dated 26th August, 1974, the Governor of Haryana referred the following dispute between the management of M/s Sita Ram Engineering Corporation, Railway Crossing, Old Faridabad and its workman Shri G.P. Dayal, to t his Tribunal in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

Whether the termination of services of Shri G.P. Dayal was justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

Shri D.C. Bhardwaj, authorised representative of the management has produced receipt in respect of payment to the workman of his dues in full and final satisfaction of his claim. The workman or his representative is not present despite being directed to appear and pursue his case. *Ex parte* proceedings are, therefore, taken up against the workman for non-prosecution by him of his case. The stand taken by the management in respect of payment of all his dues seems to be correct.

I thus hold that there is now no dispute between the parties requiring adjudication. I as such return a no dispute award.

MOHAN LAL JAIN,

Dated 28th August, 1975.

Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Haryana,
Faridabad.

P. P. CAPRIHAN,
Commissioner and Secretary.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 4 सितम्बर, 1975

क्रमांक 2197-ज(II)-75/26957.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति रुकमण देवी, विधवा श्री सोमनाथ, निवासी मकान नं० 565, नया प्रेम नगर करनाल को रबी, 1967 से रबी, 1970 तक 100 रुपए वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, उसे दी गई सनद में वर्णित शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 2198-ज(II)-75/26960.— पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री श्याम लाल, पुत्र श्री मुरली दास, गांव बिसोहा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी, 1973 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उसे दी गई सनद में वर्णित शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 2334-ज(II)-75/26965.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बनवारी लाल, पुत्र श्री सीस राम, गांव करोड़, तहसील व जिला रोहतक, को रबी, 1973 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उसे दी गई सनद में वर्णित शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।